माननीय न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल सीजे और अजय तिवारी, के समक्ष।

पी.सी.पी. इंटरनेशनल लिमिटेड–अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती नीलम कौर और अन्य - उत्तरदाता

1996 का एलपीए नंबर 577

1995 के एफएओ संख्या 309 में

17 अगस्त, 2010

भारत के संविधान- 226- कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923-आयुक्त धारक बीमा कंपनी मुआवजे की राशि पर शास्ति और ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है-बीमा पॉलिसी के प्रावधानों के तहत कंपनी केवल मुआवजे की प्रतिपूर्ति करने के लिए क्षतिपूर्ति करने का वचन देती है और ब्याज और जुर्माना का भुगतान करने के लिए कोई देयता नहीं है - अपील की अनुमिति-एकल न्यायाधीश के निर्णय को रद्द कर दिया गया और बीमा कंपनी आयुक्त द्वारा दिए गए कामगार के मुआवजे पर किसी भी दंड या ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

यह अभिनिर्णित किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है, इसके अलावा, क्योंकि विद्वान एकल ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड *बनाम* **हर्षदभाई अमृतभाई मोधिया, 2006 (2) आरसीआर (सिविल) 814,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अलग करने का कोई कारण नहीं दिया लेकिन केवल उसी का उल्लेख किया। बीमा कंपनी आयुक्त द्वारा दिए गए कामगार के मुआवजे पर किसी भी दंड या ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। हालांकि, यह सिविल कोर्ट को बीमा कंपनी पर किसी भी अतिरिक्त दायित्व को थोपने से नहीं रोकेगा, अगर पार्टियों के बीच पत्राचार किसी सहायक अनुबंध / देयता को जन्म देता है।

(पैरा 8)

अपीलकर्ता के वकील - डी.के. गुप्ता

आर.के. बाशंबू - अधिवक्ता/ प्रतिवादी के किए।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल, सी जे - ‘

1. यह एल पी ए विद्वान एकल न्यायाधीश के एक फैसले से उत्पन्न होता है जो अपनी संपूर्णता में इस प्रकार है:

   "श्री हर्ष अग्रवाल ने मुझे अपीलकर्ता-कंपनी के एक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित रसीद दिनांक 6-4-1995 की एक फोटोकॉपी दिखाई है। रसीद में न केवल रसीद के शीर्षक पर तारीख होती है, बल्कि अपीलकर्ता के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के नीचे भी होती है। रसीद में यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि ***गुरदीप सिंह बनाम पंजाब चेमी प्लांट्स लिमिटेड*** में घातक दुर्घटना कामगार मुआवजा दावा संख्या 23121/डब्ल्यूसी/00012/90 के संबंध में पूर्ण और अंतिम भुगतान के माध्यम से दावे का निपटान किया गया है, पॉलिसी संख्या 23121/WC/00021/90 के खिलाफ। चूंकि अपीलकर्ता के दावे को बीमा कंपनी द्वारा पूर्ण रूप से निपटा दिया गया है, इसलिए आगे कोई सवाल नहीं उठता। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

2. अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने 11-12-1996 को निम्नलिखित आदेश पारित किया

   "आवेदन में बताए गए कारणों के लिए, देरी को माफ किया जाता है।

   अपील स्वीकार की जाती है अर्थात मालिक और बीमा कंपनी के बीच देयता के प्रश्न के संबंध में। दावेदारों के मामले में, अपील खारिज कर दी जाती है क्योंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं बताई गई है।

   स्थगन को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि कर्मकार प्रतिकर आयुक्त के पास जमा की गई राशि दावेदारों को जारी की जाएगी अर्थात् दावेदारों के अधिकार के अधिनिर्णय के प्रचालन पर कोई रोक नहीं है।

3. वर्तमान अपील में उत्पन्न होने वाला मुद्दा बीमा पॉलिसी के प्रभाव के लिए है, जिसका प्रासंगिक खंड निम्नानुसार है-

   "यह समझा जाता है और सहमति व्यक्त की जाती है कि इस नीति के तहत प्रदान किया गया कवर बीमित व्यक्ति को किसी भी ब्याज और/या दंड के संबंध में क्षतिपूर्ति करने के लिए विस्तारित नहीं होगा, जो उस पर लगाया जा सकता है, क्योंकि वह

कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 और बाद में उक्त अधिनियम के संशोधनों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।

4. आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, पानीपत का आदेश इस प्रकार है:

"प्रतिवादी नंबर 1 को दुर्घटना की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर मुआवजे की राशि जमा करनी थी, लेकिन आज तक कोई राशि जमा नहीं की गई है। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा मुआवजे की राशि जमा न करने के कारण याचिकाकर्ताओं की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की धारा 49 के तहत प्रतिवादी नंबर 1 पर 12% ब्याज दर के साथ 40% जुर्माना लगाया जाता है।

याचिकाकर्ताओं के निम्नलिखित दावों को स्वीकार किया जाता है-

1. मुआवजे की राशि..... 87,980.00 रुपए
2. ब्याज @ 12% 20-10-89 से ..... 49,268.80 रुपये
3. जुर्माना @ 40% .... &. 35,192.00 रुपए
4. खर्च। .... &Rs. 2,000.00

कुल : रु. 1,74,440.80

यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में 1,74,440.80 रुपये (एक लाख चौहत्तर हजार चार सौ चालीस पैसे केवल) की डिक्री पारित करता है। प्रतिवादी नंबर 1, यानी मेसर्स पी.सी.पी. कंपनी को एतद्द्वारा 30 दिनों के भीतर इस न्यायालय में डिक्रीटल राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। यदि डिक्रीटल राशि जमा नहीं की जाती है तो ब्याज की राशि जारी रहेगी।

5. आदेश पारित किया गया था क्योंकि अपीलकर्ता-कंपनी को पूर्व पक्षीय के खिलाफ आगे बढ़ाया गया था। अपीलकर्ता-कंपनी के विद्वान वकील ने कहा कि बीमा कंपनी न केवल मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसकी गणना 70,384/- रुपये की गई थी, बल्कि ऊपर दिए गए आदेश में आयुक्त, कामगार मुआवजा अधिनियम द्वारा निर्धारित जुर्माना और ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, एकमात्र मुद्दा बीमा पॉलिसी के प्रभाव का है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जुर्माना और ब्याज देय नहीं है।

6. उत्तरदाताओं के वकील ने ***न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हर्षदभाई अमृतभाई मोधिया, 2006 (2) आरसीआर (सिविल) 814*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है।

7. फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

"13. अधिनियम के प्रावधानों के कारण, एक नियोक्ता बीमा के अनुबंध में प्रवेश करने के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी नहीं है। तथापि, जहां नियोक्ता और बीमाकर्ता द्वारा और उनके बीच बीमा संविदा की जाती है तो बीमाकर्ता नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि, मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत बीमा कंपनी की कोई वैधानिक देनदारी नहीं है। अधिनियम की धारा 17 में बीमाकर्ता की तुलना में नियोक्ता द्वारा संविदा के मामले में किसी प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है।

14. बीमा के एक अनुबंध की शर्तें पार्टियों की इच्छा पर निर्भर करेगा। बीमा संविदा बीमा अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित होती है । बीमा अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, एक बीमित व्यक्ति प्रीमियम का भुगतान करने के लिए बाध्य है जिसकी गणना उसके लिए प्रदान किए गए तरीके से की जानी है। अपनी देयता को कम करने की दृष्टि से, एक नियोक्ता अनुबंध कर सकता है ताकि बीमाकर्ता को कुछ मामलों के संबंध में क्षतिपूर्ति करने के संबंध में उत्तरदायी न बनाया जा सके जो किसी भी क़ानून के अनिवार्य प्रावधानों से सख्ती से उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए, जहां तक नियोक्ता द्वारा ब्याज के भुगतान का संबंध है, अनुबंध करना कानून में निषिद्ध नहीं है।

22. बीमा के अनुबंधों से संबंधित कानून अनुबंध के सामान्य कानून का हिस्सा है। तो रोस्किल लॉर्ड जस्टिस के ***सेहेव बनाम ब्रेमर [1976] क्यूबी 44)***इस दृष्टिकोण को लॉर्ड विल्बरफोर्स ने ***रियरडन स्मिथ बनाम हैनसन - टैंगेन (1976 [1 डब्ल्यूएलआर] 989)*** में अनुमोदित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था "यह वांछनीय है कि एक ही कानूनी सिद्धांत अनुबंध के कानून पर समग्र रूप से लागू होना चाहिए और अलग-अलग सिद्धांत उस कानून की विभिन्न शाखाओं पर लागू नहीं होने चाहिए। बीमा के एक अनुबंध को इसमें इस्तेमाल की जाने वाली शर्तों से पहले स्थान पर लगाया जाना है, जो शब्द स्वयं अपने प्राथमिक, प्राकृतिक, सामान्य और लोकप्रिय अर्थों में समझे जाने वाले हैं। (देखें कोलिनवॉक्स लॉ ऑफ इंश्योरेंस 7वें संस्करण पैराग्राफ 2-01)। इसलिए बीमा पॉलिसी को किसी अन्य अनुबंध की तरह माना जाना चाहिए। प्रश्न में अनुबंध के निर्माण पर यह स्पष्ट है कि बीमाकर्ता ने ब्याज और दंड के लिए दायित्व नहीं लिया था, लेकिन नियोक्ता को केवल मुआवजे की प्रतिपूर्ति करने के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया था, नियोक्ता कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत अन्य चीजों के साथ भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था 1923 के कामगार मुआवजा अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, बीमाकर्ता को उन राशियों के लिए बीमाधारक के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

8. चूंकि वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा ऊपर दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पूरी तरह से ढका हुआ है, इसलिए हम संतुष्ट हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है, इसके अलावा, क्योंकि विद्वान न्यायाधीश ने इसे अलग करने का कोई कारण नहीं दिया बल्कि केवल उसी का उल्लेख किया। अपीलकर्ता के वकील ने पार्टियों के बीच आदान-प्रदान किए गए कुछ पत्राचार पर भरोसा करने की मांग की है और सिविल कोर्ट के समक्ष दायर एक सिविल सूट का उल्लेख किया है। हम सिविल कोर्ट में उठाए गए मुद्दे से चिंतित नहीं हैं जो पार्टियों के बीच पत्राचार विनिमय पर आधारित है, लेकिन केवल बीमा पॉलिसी की व्याख्या से संबंधित हैं। हम पहले ही निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि बीमा अनुबंध अपीलकर्ता द्वारा देय दंड और ब्याज को कवर नहीं करता है। तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द करते हुए, हम मानते हैं कि बीमाकंपनी आयुक्त द्वारा दिए गए कामगार मुआवजे पर जुर्माना या ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। हालांकि, यह बीमा कंपनी पर किसी भी अतिरिक्त दायित्व को थोपने से सिविल कोर्ट को नहीं रोकेगा यदि पार्टियों के बीच पत्राचार किसी सहायक अनुबंध / देयता को जन्म देता है।

9. अपील का निपटारा किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनमोल कक्कड़
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा